न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 88/2011

उनवान

1 प्रेमप्रकाश पिता रुपलाल अजमेरा, निवासी भोजरास, तहसील हुरडा ।
हाल चौडा वाली गोलवार महरा छापा पडरा बडौदा गुजरात
2 भगवतीलाल पिता रुपलाल अजमेरा, निवासी भोजरास, तहसील हुरडा।
हाल किशोर नगर इक्सटेन्सन राजसमन्द ।

—वादीगण

बनाम

1 इन्द्रनारायण पिता रामनारायण सेवग, निवासी हुरडा तहसील हुरडा ।
2 अनिल पिता रामेश्वर सेवग, निवासी हुरडा तहसील हुरडा ।
3 श्रीमति सीमा देवी पत्नि घनश्याम सेवग, नि. हुरडा तहसील हुरडा ।
4 भारेस कुमार पिता घनश्याम सेवग, ना.बा.ब.बि. माता श्रीमति सीमा देवी पत्नि श्री घश्श्याम निवासी हुरडा तहसील हुरडा ।
5 श्रीमति छोटी बाई पत्नि रामेश्वर प्रसाद निवासी हुरडा, तहसील हुरडा।
6 वृद्धिचन्द्र पिता रामनारायण सेवग, निवासी हुरडा तहसील हुरडा ।
7 कृष्णगोपाल पिता रामनारायण सेवग, निवासी हुरडा तहसील हुरडा ।
8 महावीर प्रसाद पिता रामनारायण सेवग, निवासी हुरडा तहसील हुरडा ।
9 शिवराज पिता जगदीश प्रसाद सेवग, निवासी हुरडा तहसील हुरडा ।
10 दशरथ पिता जगदीश प्रसाद सेवग, निवासी हुरडा तहसील हुरडा ।
11 श्रीमति पार्वती देवी पत्नि रामनारयण सेवग, नि0 हुरडा तह0 हुरडा ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री राजेश कुमार मेहता वकील वादी ।
श्री परमेश्वर शर्मा वकील प्रतिवादी 5, 6, 9,10, 11

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88, 92 (ए) राजस्थान टिनेक्सी एक्ट

–:निर्णय:–

दिनांक– 29.06.2018

1– वादीगण के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि मौजा हुरडा मगरा तहसील हुरडा में साबिक सेटलमेन्ट में वादीगण के पिता श्री रुपलाल पिता धूलीराम महाजन के साबिक खाते व कब्जे काश्त की आराजी नम्बर– 72 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा स्थित थी ।

2– उक्त आराजी के रिसेटलमेन्ट में नये नम्बर– 867 रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा कायम किये गये । रिसेटलमेन्ट में साबिक सेटलमेन्ट के रेकार्ड के अनुसार उक्त आराजी नम्बर– 867 रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा

Scanned by CamScanner

तनाह वादीगण के पिता के नाम पर दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन सहवन से उक्त अराजीयात का 1/2 हिस्सा ही वादीगण के पिता के नाम दर्ज हुआ व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर– 1 से 11 के मौरुस श्री हरिबक्ष पिता रुघनाथ सेवग हुरडा के नाम पर दर्ज कर दिया गया जो अवैध व नाजायज है ।

3– श्री हरिबक्ष की मृत्यु के बाद उसका खाता इन्तकाल नम्बर– 125 से दिनांक 22.09.1977 को उसके पिता रामनारायण सेवग के नाम दर्ज हुआ है । श्री रामनारायण की भी मृत्यु हो जाने से उसका विरासत का खाता उसके पुत्र इन्द्रनारायण रामेश्वर प्रसाद, बिरदीचन्द्र, कृष्णगोपाल, महावीर प्रसाद व जगदीश प्रसाद तथा उसकी बेवा श्रीमति पार्वती देवी के नाम पर दर्ज हुआ । श्री जगदीश प्रसाद की भी मृत्यु हो जाने से उसका विरासत का खाता उसके पुत्र शिवराज, दशरथ व उसकी बेवा श्रीमति बाया देवी के नाम दर्ज हुआ जिसका नाम अभी जमाबन्दी में दर्ज है मगर इसके बाद श्रीमति बाया देवी की भी मृत्यु हो गई जिसका हिस्सा उसके दोनो पुत्र शिवराज व दशरथ में मर्ज हुआ । खातेदारान मे से रामेश्वर प्रसाद व उसके पुत्र घनश्याम की भी मृत्यु हो जाने से रामेश्वर प्रसाद की बेवा श्रीमति छोटी बाई व घनश्याम की बेवा श्रीमति सीमा देवी व उसके पुत्र भारेस कुमार को पक्षकार कायम किये गये है जिनका उल्लेख उपर वर्णित सजंरे में भी है । उक्त 1/2 हिस्से की आराजी से हरिबक्ष का व उसके पुत्र रामनारायण व उसके मौजुदा वारेसान प्रतिवादीगण से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है और न था तथा उक्त आराजी पर इनका कभी भी कब्जा नही रहा और न है बल्कि उक्त सम्पूर्ण आराजी 15 बीघा 12 बिस्वा पर लगातार वादीगण के पिता का व उनकी मृत्यु के बाद लगातार वादीगण का कब्जा काश्त व उपाभोग चला आ रहा है ।

4– रिसेटलमेन्ट की उक्त कार्यवाही अवैध व नाजायज होने से आराजी नम्बर– 867 रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा में से 1/2 हिस्से की आराजी को प्रतिवादीगण के खाते से हटाई जाकर वादीगण के खाते में खातेदारी हक से दर्ज की जाना आवश्यक है और इसके लिए वादीगण प्रतिवादीगण के खिलाफ खातेदारी हक की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है ।

5– प्रतिवादीगण अपने अवैध व नाजायज खाते के बल पर उक्त आराजीयात मे से 1/2 हस्से की आराजी को अपने नाजायज प्रलोभन के आधार पर दिगर को अन्तरित व उसका पंजीयन करने कराने पर उतारु है जो कृत्य उनका अवैध व नाजायज होने से इससे रुके रहने बाबत उनको बजरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक होकर न्यायहित में है वरना वादीगण को ऐसी असहनीय क्षति का सामना करना पडेगा जिसकी क्षतिपूर्ति असम्भव है ।

6– वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त सम्पूर्ण आराजीयात मे से 1/2 हिस्से की आराजी को उनके खाते से हटाई जाकर वादीगण के खाते में दर्ज कराने एवं उक्त आराजी को दिगर को अन्तरित व उसका पंजियन करने कराने से रुके रहने बाबत कई बार कहा जिस पर वो इसके बराबर आवश्वासन देते रहे मगर बिल अखीर उसने दिनांक

Scanned by CamScanner

15.10.2010 को इन्कार कर दिया इसलिए उक्त वाद पेश करने की नोबत आई ।

7— अन्त में अंकित किया कि आराजी नम्बर— 867 रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा आराजी मे से 1/2 हिस्से की आराजी को प्रतिवादीगण के खाते से हटाई जाकर वादीगण के खाते में खातेदारी हक से दर्ज कराये जाने की घोषणात्मक डिकी बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें । बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वो आराजी नम्बर'— 867 रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा में से 1/2 हिस्से की आराजी को दिगर को अन्तरित व उसका पंजीयन करने कराने से रुके रहे । यदि दौराने कार्यवाही वादपत्र प्रतिवादीगण इसमें सफल हो जावें तो पुनः वादपत्र के प्रस्तुत करने के दिन की स्थिति रेस्टोर कराई जावें।

8 प्रस्तुत वादपत्र वाद जॉच दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादी संख्या— 4 बावजूद सूचना के गैरहाजिर रहने से उनके विरुद्ध दिनांक 10.05.2011 को एकतरफा कार्यवाही दिये जाने के आदेश प्रसारित किये गये । प्रतिवादी संख्या— 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 की और से दिनांक 01.11.2011 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया । प्रतिवादी संख्या— 7 व 8 की और से कोई जवाबदावा प्रस्तुत नही किया गया ।

9 प्रकरण में वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर दिनांक 15.10.2012 को निम्न प्रकार से तनक़ीयात कायम किये गये —

तनकी नं.—1	आया मौजा हुरडा मगरा में साबिक खाते में आराजी नम्बर— 72 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा वादीगण के पिता रुपलाल पिता धूलीराम महाजन के नाम दर्ज थी ।	—वादीगण
तनकी नं.—2	आया साबिक सेटलमेन्ट में आराजी नम्बर— 72 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा के नये नम्बर— 867 रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा कायम किये गये ।	—वादीगण
तनकी नं.—3	आया साबिक रेकार्ड के अनुसार विवादित आराजीयात वादीगण के पिता के नाम सम्पूर्ण दर्ज न कर उसमें से 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण के वली हरिबक्ष के नाम दर्ज कर दिया जो अवैध है।	—वादीगण
तनकी नं.—4	आया साबिक रेकार्ड के अनुसार वादीगण उक्त आराजी के लिये खातेदारों हक की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है ।	—वादीगण
तनकी नं.—5	आया विवादित आराजीयात में से 1/2 हिस्सा धूलीराम महाजन ने 60 वर्ष पूर्व प्रतिवादी को ब्राह्मण होने के कारण मौखिक रुप में दे दी थी, तभी से उस पर काबिज चले आ रहे है , जिससे दावा वादी चलने योग्य नही है ।	—प्र0वादी
तनकी नं.—6	आया विवादित आराजीयात का नामन्तकरण प्रतिवादीगण के नाम खुला, उसको वादीगण द्वारा 45 वर्ष बाद भी चुनौति नही दिये जाने से उक्त	—प्र0वादी

Scanned by CamScanner

	वाद चलने योग्य नही है ।	
तनकी नं.-7	आया विवादित पर 60 वर्षो से भी अधिक समय से प्रतिवादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है, वादी का उक्त आराजीयात पर कब्जा नही होने से दावा वादी चलने योग्य नही है ।	-प्र0वादी
तनकी नं.-8	अनुतोष ।	

10 वादीगण के द्वारा अपने वाद पत्र की ताईद में पी.डब्लू.-1 प्रेमप्रकाश के बयान कराये गये । तथा दस्तावेजी साक्ष्य में इ.एक्स.पी.-1 जमाबन्दी इ.एक्स.पी.-2 खसरा, इ.एक्स.पी.-3 हरिबक्ष के खाते की जमाबन्दी, इ.एक्स.पी.-4 हाल जमाबन्दी को प्रदर्श करवाया गया । अन्य कोई गवाह दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही कराना चाहने से साक्ष्यवादी सटेज बन्द की गई ।

11 प्रतिवादीगण की और से पी.डब्लू-1 इन्द्रनारायण का शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने से वकील वादी के द्वारा जीरह का अवसर चाहा गया ।

12 तत्पश्चात पत्रावली आज लोग अदालत में पेश हुई । वकील उभयपक्ष उपस्थित हुये । वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से वकील उभयपक्ष की बहस सूनी गई । वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के पिता रुपलाल पिता धूलीराम महाजन के खातेदारी की भूमि थी । सेटलमेन्ट के दौरान उक्त आराजीयात में से 1/2 हिस्सा वादीगण के पिता के नाम तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण के मौरुस हरिबक्ष पिता रुगनाथ सेवग के नाम दर्ज कर दिया गया । जो अवैध व नाजायज है । उसके बाद हरिबक्ष की मृत्यु हो जाने से विरासत से उनके पुत्रों के नाम दर्ज हुई । और हाल राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादीगण के नाम दर्ज चली आ रही है। वकील वादी का यह भी कथन था कि प्रतिवादीगण अपने अवैध व नाजायज़ खाते के बल पर उक्त आराजीयात में से 1/2 हिस्से की आराजीयात को बैचान करने पर आमादा है जिसे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें । अन्त में कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजीयात में से 1/2 हिस्से की आराजीयात प्रतिवादीगण के खाते से हटाई जाकर वादीगण के नाम दर्ज करवाई जावें।

13 वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि साबिक सेटलमेन्ट से पूर्व प्रतिवादीगण के पूर्वज का 1/2 हक हिस्सा दर्ज था तभी से वादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण का कब्जाकाश्त चला आ रहा है । वादीगण के दादा धूलीराम ने वर्षो पूर्व प्रतिवादीगण के पूर्वजों को ब्राह्मण होने के कारण काश्त करने के लिये मौखिक रुप से दान में दे दी थी । जिसे लगभग 60 वर्ष से अधिक का समय हो चूका है। सेटलमेन्ट को करीब 45 वर्ष हो चूके है और 45 वर्षो में कभी वादीगण के द्वारा चुनौती नही दी और न ही उनके द्वारा आज दिन तक खोले गये नामान्तकरणों को भी कभी चुनौती नही दी । वकील प्रतिवादी का

Scanned by CamScanner

यह भी कथन था कि वादीगण का उक्त आराजीयात में कभी भी कब्जा नही रहा और न है ऐसे में धारा–88 राजस्थान काश्तकारी के तहत वादी का वाद खारिज योग्य है । अन्त में कथन किया कि दावा वादी खारिज फरमाया जावें।

14 मैनें वकील उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है –

15 **तनकी नं.–1** इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है । इस तनकी के समर्थन में वादीगण के द्वारा ई.एक्स.पी–1 जमाबन्दी को प्रदर्श करवाया गया है। ई.एक्स.पी–1 जमाबन्दी सम्वत् 2018–2021 मौजा हुरडा मगरा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 72 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि रुपलाल पिता धूलीराम महाजन साकिन देह भोजरास के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है। तद्नुसार इस तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाता है ।

16 **तनकी नं.–2** इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है । इस तनकी के समर्थन में वादीगण के द्वारा ई.एक्स.पी–2 खसरा को पदर्श करवाया गया, इ.एक्स.पी.–2 भू–प्रबन्ध (सेलटमेन्ट) विभाग के खसरा सम्वत् 2022 मौजा हुरडा मगरा के अनुसार वादग्रसत साबिक आराजी नम्बर– 72 के नये नम्बर– 867 रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा भूमि बनाये जाना स्पष्ट हुआ है । तद्नुसार इस तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाता है ।

17 **तनकी नं.–3 व 4** इन दोनो तनकीयों को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है । यह दोनो तनकीयों एक–दूसरे से सम्बन्धित होने से इनका विवेचन एक साथ किया जा रहा है । इन तनकीयों के सम्बन्ध में वादीगण का कथन है कि साबिक रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजीयात वादीगण के पिता के नाम दर्ज नही कर 1/2 हिस्सा ही उनके पिता के नाम दर्ज किया गया और 1/2 हिस्सा बिना किसी आधार के प्रतिवादीगण के मौरुस हरिबक्ष के नाम दर्ज कर दिया गया । चुँकि वादीगण के द्वारा प्रस्तुत भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग के खसरा के अनुसार इन्तकाल नम्बर– 122 से वादग्रस्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा हरिबक्ष पिता जगन्नाथ साकिन हुरडा के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है । यदि वादीगण के द्वारा इन्तकाल नम्बर– 122 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर देते तो स्थिति स्पष्ट हो जाती । सेटलमेन्ट के पश्चात जो प्रथम जमाबन्दी सम्वत् 2031–2034 की प्राप्त हुई, उसमें वादग्रस्त आराजी नम्बर– 867 रकबा 15 बीघा 12 बिस्वा भूमि हरिबक्ष पिता रुगनाथ साकिन हुरडा 1/2 रुपलाल पिता धूलीराम महाजन साकिन भोजरास हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है। इसी जमाबन्दी पर लगे नोट के अनुसार नामान्तकरण संख्या– 125 दिनांक 22.09.1977 से हरिबक्ष पिता रुघनाथ के बजाय रामनारायण पिता हरिबक्ष दर्ज रिकार्ड होना भी स्पष्ट हुआ है । इस प्रकार उक्त आराजीयात लगभग 43 वर्षो से

क्टर
पुरा
ड़ा

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण के नाम दर्ज चली आ रही है । ऐसी स्थिति में वादीगण वादग्रस्त आराजीयात में 1/2 भूमि के लिये हक घोषणा करवाने के अधिकारी नही पाये जाने से इन तनकीयों का निर्णय वादीगण के विरुद्ध किया जाता है ।

18 **तनकी नं.– 5** इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है । इस तनकी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण का कथन है कि विवादित आराजीयात के 1/2 हिस्सा धूलीराम महाजन ने प्रतिवादीगण के पूर्वजों को ब्राह्मण होने के कारण मौखिक रुप से दान में दी थी। किन्तु अपने कथनों की पुष्टि में उनके द्वारा कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध तो नही करवाया गया है किन्तु सेटलमेन्ट के खसरा सम्वत् 2022 में जो नामान्तकरण संख्या– 122 का उल्लेख है उससे यह तो स्पष्ट है कि किसी न किसी आधार से वादग्रस्त आराजीयात का 1/2 हिस्सा धूलीराम महाजन के द्वारा हरिबक्ष पिता जगन्नाथ को दिया गया है । जहॉं तक वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जेकाश्त का प्रश्न है इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के द्वारा सन् 1954 से लगान की रसीदे पत्रावली पर उपलब्ध कराई गई है। उक्त लगान की रसीदो से यह भी स्पष्ट हुआ है कि सन् 1954 से 1958 तक रुपलाल अजमेरा महाजन की और से भी लगान हरिबक्ष के द्वारा जमा करवाया गया है। तथा सन् 1981 से वादीगण व प्रेम प्रकाश व भगवती लाल की और से भी लगान प्रतिवादी संख्या–1 के पिता रामनारायण के द्वारा जमा करवाये गये । जिससे यह जाहिर होता है कि विवादित सम्पूर्ण आराजीयात पर प्रतिवादीगण के मौरुस का ही कब्जाकाश्त चला आ रहा है । वादीगण के द्वारा भी कब्जे के सम्बन्ध में किसी भी स्तर की कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही करवाई है। तद्नुसार इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है ।

19 **तनकी नं.–6 व 7** इन तनकीयों को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है । यह दोनो तनकीयों एक–दूसरे से सम्बन्धित होने से इन दोनो तनकीयों का विवेचन एक साथ किया जा रहा है । चुॅंकि इन तनकीयों के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन तनकी नम्बर– 3 व 4 में किया जा चूका है पृथक से और विवेचन किया जाना न्यायालय उचित नही समझता है , तद्नुसार इन तनकीयों का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है ।

20 **तनकी नं.–8** समग्र रुप से हम पाते है कि वादग्रस्त आराजीयात सम्वत् 2018–2021 की जमाबन्दी के अनुसार रुपलाल पिता धूलीराम महाजन के नाम दर्ज थीं । सटेलमेन्ट के दौरान इन्तकाल नम्बर–122 से 1/2 हिस्सा हरिबक्ष पिता जगन्नाथ साकिन हुरडा व 1/2 हिस्सा रुपलाल पिता धूलीराम महाजन साकिन भोजरास के नाम दर्ज रिकार्ड हुआ था । पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में से 1/2 हिस्सा 43 सालों से प्रतिवादीगण व उनके मौरुस के नाम दर्ज चली आ रही है । यदि वादीगण के द्वारा इन्तकाल नम्बर– 122 की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर उपलब्ध करवा देते तो स्थिति पूर्णतयाः स्पष्ट हो जाती, साथ ही इस वाद की सभी

Scanned by CamScanner

महत्वपूर्ण तनकीयों का निर्णय वादीगण के विरुद्ध हो जाने से भी इस वाद का निर्णय हो जाता है । तद्नुसार दावा वादी खारिज योग्य है।

—: निर्णय :—

दावा वादी खारिज किया जाता है । तद्नुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हो । पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 को खुली अदालत में सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

APP-AY

मूल वाद में डिक्री

(आदेश–20 के नियम–6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

बइजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

वाद संख्या– 88 / 2011

1. प्रेमप्रकाश पिता रुपलाल अजमेरा, निवासी भोजरास हाल चौडा वाली गोलवार महरा छापा पडरा बडौदा गुजरात , भगवतीलाल पिता रुपलाल अजमेरा, निवासी भोजरास, हाल किशोर नगर इक्सटेन्सन राजसमन्द ।

—वादीगण

बनाम

1 इन्द्रनारायण पिता रामनारायण सेवग, अनिल पिता रामेश्वर सेवग, श्रीमति सीमा देवी पत्नि घनश्याम सेवग भारेस कुमार पिता घनश्याम सेवग ना.बा.ब.बि. माता श्रीमति सीमा देवी पत्नि घनश्याम , श्रीमति छोटी वाई पत्नि रामेश्वर प्रसाद, वृद्धिचन्द पिता रामनारायण सेवग, कृष्णगोपाल पिता रामनारायण सेवग, महावीर प्रसाद पिता रामनारायण सेवग, शिवराज, दशरथ पिता जगदीश प्रसाद सेवग, श्रीमति पार्वती देवी पत्नि रामनारायण निवासीयान हुरडा , तहसील हुरडा।

—प्रतिवादीगण

प्रेशिति:—

वादपत्र अन्तर्गत धारा— 88, 92 (ए) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के लिए दावा वादी की ओर से श्री राजेश कुमार मेहता प्रतिवादी की ओर से श्री परमेश्वर शर्मा की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 29.06.2018 को अदालत के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि दावा वादी खारिज किया जाता है ।

और इसके वाद के खर्चे लेखे XXX रू. की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर XXX प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित XXX द्वारा XXX को दी जायें। यह आज तारीख 29.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला भीलवाड़ा

वादी के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	02	00	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	01	00	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	00	00
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	04	00	3. प्लीडर की फीस	00	00
4. रूपये पर लीडर की फीस	00		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00
5.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	5. आदेशिका की तामील	00	00
6.कमिश्नर की फीस–तलवाना	00		6. कमिश्नर की फीस		00
7. आदेशिका की तामील	03				
8. स्टाम्प	00				
	00				
योग	10	00		00	0

Scanned by CamScanner